



2026:AHC:53597

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18736 वर्ष 2025

रूपाली सोनीयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: घना राम निरंजन

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शिव कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री घना राम निरंजन के साथ-साथ राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से श्री एस.के. सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह स्वर्गीय दिनेश कुमार सोनी की पुत्री है, जो लोक निर्माण विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत थे और जिनका निधन 24.01.2024 को हो गया था। याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करती है, जबकि उसकी माँ अपने पुत्र (याचिकाकर्ता के भाई) के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहती है। पक्षों के अनुसार, यह मामला अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कर्वी, जनपद चित्रकूट की समिति के समक्ष लंबित है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या-3, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कर्वी, जनपद चित्रकूट द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 27.03.2026 तक प्रतिवादी संख्या-3 (अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कर्वी, जनपद चित्रकूट) के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या-3 उक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या-5 को नोटिस जारी किए बिना, याचिकाकर्ता, निजी प्रतिवादियों और प्रभावित पक्षों के दावों पर तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।